"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई 2015—आषाढ़ 12, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धीरेन्द्र कुमार सोनी आत्मज श्री अशोक कुमार सोनी, उम्र 31 वर्ष, निवासी-क्वाटर नम्बर 5/सी, सड़क नं. 85, एच एस सी एल कालोनी, सेक्टर 6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा हाईस्कूल सर्टीफिकेट (10वीं), हायर सेकेण्डरी परीक्षा (12वीं) एवं डिप्लोमा (सिविल) की अंक सूचियों में मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार अंकित है एवं मेरे पूर्व माध्यमिक परीक्षा (8वीं), रोजगार पंजीयन, निवासी प्रमाण पत्र, ड्रायविंग लायसेन्स, सर्विस रिकार्ड आदि में मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सोनी अंकित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम धीरेन्द्र कुमार सोनी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे धीरेन्द्र कुमार सोनी आत्मज श्री अशोक कुमार सोनी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
धीरेन्द्र कुमार आत्मज-श्री अशोक कुमार सोनी निवासी-क्वाटर नं. 5/सी, सड़क नं. 85 एचएससीएल कालोनी, सेक्टर 6, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	धीरेन्द्र कुमार सोनी आत्मज-श्री अशोक कुमार सोनी निवासी-क्वाटर नं. 5/सी, सड़क नं. 85 एचएससीएल कालोनी, सेक्टर 6, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अनय अग्रवाल पिता श्री बजरंग लाल अग्रवाल, उम्र 19 वर्ष, जाति अग्रवाल (सामान्य) निवासी-म. नं. एम. आई. जी. 1/44, महाराणा प्रताप नगर कोरबा तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम सैंकी अग्रवाल पिता श्री बजरंग लाल अग्रवाल माता श्रीमती ललिता अग्रवाल था तथा वही नाम मेरे समस्त अंकसूची एवं दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अनय अग्रवाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अनय अग्रवाल पिता श्री बजरंग लाल अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सैंकी अग्रवाल पिता-श्री बजरंग लाल अग्रवाल निवासी-एम. आई. जी. 1/44 महाराणा प्रताप नगर, निहारिका, कोरबा तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.)	अनय अग्रवाल पिता-श्री बजरंग लाल अग्रवाल निवासी-एम. आई. जी. 1/44 महाराणा प्रताप नगर, निहारिका, कोरबा तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति मुकुल सारथी जौजे एम. आर. सारथी, उम्र 60 वर्ष, निवासी-गुरूनानक नगर सुपेला, वार्ड नं. 13, सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा विवाह श्री एम. आर. सारथी के साथ हुआ था. विवाह पश्चात् मैं श्रीमति मुकुल सारथी पति श्री एम. आर. सारथी के नाम से जानी पहचानी जाती रही हूं. आपसी मतभेद एवं पारिवारिक जीवन ठीक न चलने के कारण मेरे पति से दिनांक 2-2-1979 से विधिवत तलाक हो चुका है. पति से तलाक हो जाने के बाद मैं अपने सरनेम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति मुकुल शर्मा पिता स्व. एन. डी. शर्मा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमति मुकुल शर्मा पिता स्व. एन. डी. शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमति मुकुल सारथी जौजे-श्री एम. आर. सारथी निवासी-गुरूनानक नगर सुपेला वार्ड नं. 13 सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमति मुकुल शर्मा पिता-स्व. एन. डी. शर्मा निवासी-गुरूनानक नगर सुपेला वार्ड नं. 13 सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अलीम खान पिता मरहूम अब्दुल नईम खान, उम्र 37 वर्ष, निवासी-शाप नम्बर 101, बी मार्केट, सेक्टर 10, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मुझे अली खान पिता अब्दुल नईम खान के नाम से जाना पहचाना जाता था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अलीम खान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अलीम खान पिता मरहूम अब्दुल नईम खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अली खान पिता-मरहूम अब्दुल नईम खान निवासी-शाप नं. 101, बी मार्केट, सेक्टर 10, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	अलीम खान पिता-मरहूम अब्दुल नईम खान निवासी-शाप नं. 101, बी मार्केट, सेक्टर 10, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमधा, मुख्यालय-दुर्ग, जिला दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2015

प्रारुप

[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा लोक न्यासों के पंजीयक धमधा, मुख्यालय-दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक/877/प्र. 2/अ.वि.अ./2015.—यत: कि आवेदक श्री आलरिक एक्का निवासी-कैलाश नगर, वार्ड नं. 11, गायत्री टिम्बर मार्ट के पीछे, कुम्हारी तहसील-धमधा, जिला दुर्ग द्वारा रायपुर कॉनग्रिगेशन ऑफ जेहोवास विटनेसेस रिलिजियस ट्रस्ट ग्राम कुम्हारी तहसील धमधा, जिला -दुर्ग (छ. ग.) के लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 27-7-2015 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	रायपुर कॉनग्रिगेशन ऑफ जेहोवास विटनेसेस रिलिजियस ट्रस्ट ग्राम कुम्हारी तहसील धमधा, जिला -दुर्ग (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

जी. आर. मरकाम,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल, रायगढ़ (छ. ग.)

रायगढ़, दिनांक 18 जून 2015

क्रमांक/तक./अधि./09/2015.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिक्षेत्र अधिकारी खरसिया के अंतर्गत निम्न अंकित बीट हेमर श्री चन्द्रकुमार राठिया, वनरक्षक, परिसर रक्षक, डारआमा (प.) को प्रदाय किया गया था, जो गुम हो गया है.

इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पूंजीपथरा तहसील तमनार जिला रायगढ़ (छ. ग.) में दर्ज की जा चुकी है. वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उक्त हेमर भंडार से अपलेखित किया जाता है. श्री चन्द्रकुमार राठिया, वनरक्षक, परिसर रक्षक डारआमा (प.) की लापरवाही से गुम होने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है एवं भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

यदि उपरोक्त हेमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें, तथा उक्त हेमर किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग करते हुये पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत नियमानुसार अभियोग चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागीदार होगा.

राजेश कुमार पाण्डेय,
वनमंडलाधिकारी.

वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल, सूरजपुर (छ. ग.)

सूरजपुर, दिनांक 16 जून 2015

क्रमांक/मा. चि./78.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शित रामानुजनगर परिक्षेत्र, बीट गणेशपुर के बीट गार्ड श्री रूपसाय वनपाल के द्वारा रात्रि गस्त के दौरान अपघात होने के फलस्वरूप बीट हैमर कहीं गिर गया है, जो आज दिनांक तक नहीं मिला है. इसकी सूचना पुलिस थाना रामानुजनगर में दी जा चुकी है. गुमशुदा बीट हैमर की आकृति

वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा बीट हैमर को वनमण्डल के स्टॉक से अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले, तो कृपया निकटतम पुलिस थाने में अथवा वनमण्डल कार्यालय सूरजपुर में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गुमशुदा बीट हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग करते पाया गया, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

उक्त गुमशुदा बीट हैमर की कीमत 800.00 (रुपये आठ सौ) मात्र श्री रूपसाय, वनपाल से वसूल करने के आदेश जारी किये गये जाते हैं, साथ ही हैमर जैसी महत्वपूर्ण वस्तु को सुरक्षित न रखते हुए शासकीय कार्य में असावधानी/लापरवाही बरतने के कारण श्री रूपसाय, वनपाल को गंभीर चेतावनी दी जाती है.

नवीद शुजाउद्दीन
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर (छ. ग.)

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/387.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति म. बेबरती पंजीयन क्र. 524 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था. परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेश मरकाम, सह. विस्तार अधिकारी, कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/388.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सिंगारभाट पंजीयन क्र. 526 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेश मरकाम, सह. विस्तार अधिकारी, कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/389.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा दुग्ध उत्पा. सह. स. म. धनेली कन्हार पंजीयन क्र. 527 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी का परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेश मरकाम, सह. विस्तार अधिकारी, कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/390.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सह. स. म. आतुरगांव पंजीयन क्र. 525 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी का परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेश मरकाम, सह. विस्तार अधिकारी, कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/391.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सह. स. मर्या. पखांजूर पंजीयन क्र. 32 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी का परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियों कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, स. वि. अ. कोयलीबेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/392.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सह. स. मर्या. PV-117 पंजीयन क्र. 220 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, स. वि. अ. कोयलीबेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/393.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सह. स. मर्या. तालाकुर्रा पंजीयन क्र. 528 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेश मरकाम, स. वि. अ. कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/394.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सह. स. मर्या. पोरगांव पंजीयन क्र. 523 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेश मरकाम, स. वि. अ. कांकेर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/397.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा आदिवासी विकास मत्स्य स. स. म. सेलेगांव पंजीयन क्र. 19 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री कोमल तुषेण्डी, स. वि. अ. भानुप्रतापपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/398.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा आदि. मत्स्य सह. स. मर्या. खरथा पंजीयन क्र. 16 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री तारण सिंह कुंजाम, स. वि. अ. चारामा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/399.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा आ. मत्स्य सह. स. मर्या. छोटेबेठिया पंजीयन क्र. 122 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, स. वि. अ. कोयलीबेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/400.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा आदर्श नवयुवक मत्स्य सह. स. म. PV-32 पंजीयन क्र. 343 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, स. वि. अ. कोयलीबेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/401.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा मत्स्य सह. स. मर्या. PV-77 पंजीयन क्र. 338 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, स. वि. अ. कोयलीबेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/402.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा उज्जवल मत्स्य सह. स. मर्या. PV-25 पंजीयन क्र. 362 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, स. वि. अ. कोयलीबेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/403.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा मां दुर्गा मत्स्य सह.स. मर्या. PV-21 पंजीयन क्र. ...... को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, सहकारिता वि. अधि. कोयलीबेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/404.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा तरूणनगर मत्स्य स. स. मर्या. PV-111 पंजीयन क्र. 398 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, सहकारिता वि. अधि. कोयलीबेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/405.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा विवेकानंद मत्स्य सह. स. मर्या. PV-19 पंजीयन क्र. 364 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, स. वि. अ. कोयलीबेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/406.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/259/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा जलजीवन मत्स्य सह. स. मर्या.नागलदण्ड पंजीयन क्र. 27 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक सहकारी, समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. प्रसाद, स. वि. अ. कोयलीबेड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/407.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा आदि. मत्स्य सह. स. मर्या. मैनखेड़ा पंजीयन क्र. 387 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री तारण सिंह कुंजाम, स. वि. अ. चारामा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/408.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2013/236/दिनांक 20-3-13, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-14, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/ दिनांक 19-03-2015 के द्वारा आदि. मत्स्य सह. स. मर्या. आंवरी पंजीयन क्र. 211 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री तारण सिंह कुंजाम, स. वि. अ. चारामा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 9 जून 2015

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/2015/421.—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76/दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236/दिनांक 20-3-2013, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516/दिनांक 20-7-2014, पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा महिला मत्स्य सहकारी समिति मर्या. कुर्रूटोला पंजीयन क्र. 481 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसाइटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसाइटी अकार्यशील है. तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जो सोसाइटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल. ध्रुव, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री टी. एस. कुंजाम, सह. वि. अधिकारी, चारामा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. ध्रुव,
उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.